

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.आ. नीलामी/ नीलामी(ML Bajri)/2017/1389

दिनांक: 06.11.2017

नीलामी विज्ञप्ति

सदृशाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के खननपट्टें ई-नीलामी के माध्यम से आंवटित किये जाने हैं। जिसके लिए इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमत्रित की जाती है। ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में तकनीकी बिड एवं प्रारम्भिक बोली (IPO) ली जायेगी तथा द्वितीय चरण में ऑन-लाईन बोली ली जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को नीलामी शुल्क रुपया 7,500/- तथा बिड प्रतिभूति राशि निर्धारित तिथि तक सेवा प्रदाता को जमा कराना आवश्यक होगा। आंवटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण एवं बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट क्रमांक:	प्लॉट का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खनिज का नाम	बिड प्रतिभूति राशि (रुपयों में)	बोली लगाने हेतु नीलामी शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	प्रथम चरण में बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	द्वितीय चरण हेतु योग्य पाये गए बोलीदाताओं को सूचित करने की दिनांक	द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने की दिनांक	द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। जो विभागीय वेबसाइट व एमएसटीसी की वेबसाइट पर है।
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला									
1	खनि अभियन्ता, उदयपुर प्लॉट क्रमांक: 1 (बजरी)	राजकीय बिलानाम	खेतावतपुरा, झालोल, पहाड़ी, सल्लाडा	सराडा	उदयपुर	116.44	बजरी	349320	11.12.2017 को 8.00 पीएम तक	13.12.2017 को 8.00 पीएम तक	20.12.2017 तक	21.12.17	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	एनेक्शर-1

[Signature]

2	खनि अभियन्ता, उदयपुर प्लॉट क्रमांक: 2 (बजरी)	राजकीय बिलानाम	नावडा	सराडा	उदयपुर	70.89	बजरी	212670	11.12.2017	13.12.2017 को 8.00 पी.एम तक	20.12.2017 तक	21.12.17	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.	एनेकशर-2
3	खनि अभियन्ता, उदयपुर प्लॉट क्रमांक: 3 (बजरी)	राजकीय बिलानाम	बडावली	सेमारी	उदयपुर	79.37	बजरी	238110	11.12.2017	13.12.2017 को 8.00 पी.एम तक	20.12.2017 तक	21.12.17	12.00 दोपहर से 02.00 पी.एम.	एनेकशर-3

अ महत्वपूर्ण बिंदु:-

- आंवटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाएँ उपरोक्त तालिका अनुसार एनेकशर 1 से एनेकशर 3 पर हैं जो कि विभागीय वेबसाइट www.minesrajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं जहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहाँ हैं, जैसे हैं के आधार पर नीलाम किए जा रहे हैं। प्लॉट में उपलब्ध खनिज के संबंध में बोलीदाता प्लॉट का निरीक्षण, सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत् बोलीदाता पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें रखीकार नहीं की जायेगी। खननपट्टे का आंवटन एवं ई-ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 2017 एवं इस विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।
- ई-नीलामी में प्रिमियम की बोली ली जायेगी जो खनिज की रॉयल्टी के प्रतिशत के रूप में होगी। प्रिमियम की राशि प्रत्येक खनिज निर्गमन पर रॉयल्टी के अतिरिक्त देय होगी जिसमें रॉयल्टी की दरों में वृद्धि होने पर उसी अनुपात में वृद्धि होगी।
- ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन नं. 0141-2742208 है।
- यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबवाईट पर दी जायेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

ब बोलीदाता के लिए पंजीयन की प्रक्रिया:-

- ई-नीलाम प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com (पोर्टल) में सर्वप्रथम पंजीयन कराना होगा। एमएसटीसी के पोर्टल में पूर्व से पंजीकृत व्यक्ति को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के द्वारा उपलब्ध कराये गये फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

- 2 जीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है जो साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-ग का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबराईट [www.епroc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

स ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने संबंधी पात्रत एवं अर्हता आरएमएमसीआर, 2017 के अनुरूप होगी। बोलीदाता द्वारा नीलामी शुल्क व बिड सिक्योरिटी जमा करा देने के पश्चात कभी भी प्रथम चरण की बोली प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु अंतिम तिथि / समय उपरोक्त तालिका अनुसार रहेगी।
- 2 प्रथम चरण में बोलीदाता द्वारा तकनीकी बिड में आवश्यक दस्तावेजों को ऑन लाइन अपलोड करते हुये प्रारम्भिक बोली (IPO) प्रस्तुत करनी होगी। प्रारंभिक बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिजर्व प्राइस) जो रॉयलटी दर की 20 प्रतिशत है, से कम रखीकार नहीं की जायेगी। तकनीकी बिड में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

 - i बिड लेटर आरएमएमसीआर, 2017 के फॉर्म नम्बर 3 में पूर्ति कर।
 - ii नीलामी शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की रसीद की प्रति जो एमएसटीसी द्वारा जारी की गई है।
 - iii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्रः— बोलीदाता के नाम, उसके परिवारजनों के नाम, तथा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस रहा है अथवा नहीं रहा हो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की रक्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के संलग्न प्रारूप अ.ब.स.द.इ है।

 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप व में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट—शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

 - iv बोलीदाता के नाम, उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में घृत अथवा पूर्व में घृत रहा कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-डियूज प्रमाण पत्रों जो कि 6 माह से अधिक पुराने ना हो।
 - v बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफाइट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - vi बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डील की प्रति।
 - vii आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
 - ix एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
 - x गत वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी अथवा चार्टड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित बैलेंस शीट की प्रति।
 - xi ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर साधारण कागज पर अंकित करें।

- xii बोलीदाता यदि डोमेसिल शिड्यूल ट्राइब की रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो सोसायटी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति, सोसायटी के सदस्यों के नाम—पते तथा सोसाइटी का विलेख (डीड) की प्रमाणित प्रति एवं सोसाइटी की ओर से पावर ऑफ अटोर्नी की प्रति अपलोड की जाना आवश्यक है। इसके अभाव में प्राथमिकता नहीं दी जा सकेगी व सामान्य आवेदक की भाँति ई—नीलामी में शुमार किया जावेगा।
- 3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के पश्चात ही टेक्नीकल बिड को फाईनल सबमिट किया जा सकेगा। बोलीदाता टेक्नीकल बिड सबमिशन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम समय से पूर्व आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है जिसके लिए उसे डिलिट (delete) ऑप्शन चुनना होगा। परंतु बोलीदाता द्वारा विडो ऑप्शन चुन लिया जाता है तो वह इस नीलामी प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः सावधानी रखी जावे।
- 4 बोलीदाता द्वारा टेक्नीकल बिड मय आईपीओ अपलोड करने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई—नीलामी से संबंधित नियम, मार्गदर्शिकाएं, शर्तें, निर्देश आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। टेक्नीकल बिड में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 प्रथम चरण में प्रस्तुत बोलीदाताओं के तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात जिन बोलीदाताओं के दस्तावेज पूर्ण पाये जावें उन्हें तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता माना जाकर उन्हीं बोलीदाताओं की प्रथम चरण में प्रस्तुत प्रारम्भिक प्राईज ऑफर (आईपीओ) खोली जावेगी। प्राप्त प्रारम्भिक प्राईज ऑफर की वरीयता अवरोही क्रम (उच्चतम से न्यूनतम) के आधार पर सूची बनाई जावेगी। उक्त सूची में कुल योग्य बोलीदाताओं के प्रथम 50 प्रतिशत बोलीदाताओं (5 से अधिक होने की दशा में न्यूनतम 5) को ही द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु योग्य बोलीदाता माना जावेगा। यदि कुल योग्य बोलीदाताओं की संख्या 5 या 5 से कम (न्यूनतम 2) होगी तो सभी बोलीदाता द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु योग्य माने जावेंगे।
- 6 प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम प्रारम्भिक प्राईस ऑफर को द्वितीय चरण के ई—नीलामी के लिए आधार मूल्य (फ्लोर प्राईज) निर्धारित किया जावेगा।
- 7 द्वितीय चरण के लिये चयनित बोलीदाताओं को ईमेल के जरिये चयनित होने की सूचना मय फ्लोर प्राईज दी जावेगी एवं साथ में एक वेबसाईट लिंक भेजा जायेगा। उक्त वेबसाईट लिंक के जरिये निर्धारित तिथि एवं समय पर बोलीदाता नीलामी में भाग लेकर अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है। बोलीदाता द्वारा फ्लोर प्राईस से अधिक की बोली न्यूनतम बढ़ोतरी (इन्क्रीमेंट) एक प्रतिशत के आधार पर प्रस्तुत की जा सकेगी। बोलीदाता द्वारा एक प्रतिशत के गुणक में ही आगामी बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 8 यदि द्वितीय चरण में किसी भी बोलीदाता द्वारा भाग नहीं लिया जाता है तो प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बोलीदाता/उच्चतम बोलीदाताओं की बिड प्रतिभूति राशि को जब्त सरकार किया जाकर शेष योग्य बोलीदाताओं की बिड प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी तथा ई—नीलामी की प्रक्रिया को निरस्त माना जायेगा।
- 9 द्वितीय चरण में योग्य बोलीदाता अपनी बोली कितनी बार भी बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।
- 10 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा। जिसकी सूचना सेवाप्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी।
- 11 उच्चतम / सफल बोलीदाता को 15 दिवस के भीतर न्यूनतम गारन्टीड प्रीमियम राशि जो वार्षिक रिटर भाटक है, की प्रथम किस्त के रूप में 25 प्रतिशत राशि संबंधित कार्यालय में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम गारन्टीड प्रीमियम राशि की 25 प्रतिशत राशि की द्वितीय किश्त, परफोर्मेंस सिक्यूरिटी, माईनिंग प्लान, एनवाइरमेंट क्लीयरेंस इत्यादि प्रस्तुत करने हेतु मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) जारी की जायेगी। खनन पट्टे की अवधि खनन पट्टा पंजीयन तिथि से 5 वर्ष होगी।

- 12 सफल बोलीदाता को उसकी बिड प्रतिभूति राशि उसके द्वारा परफोरमेंस सिक्यूरिटी जमा करने के पश्चात् लौटा दी जावेगी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा न्यूनतम गारण्टीड प्रीमियम राशि (वार्षिक स्थिर भाटक) की प्रथम किरत निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति जब्त करते हुए आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा एवं उसके नीचे के बोलीदाताओं को क्रमिक रूप से उस उच्चतम बोली पर प्लॉट लेने हेतु अवसर दिया जायेगा। अन्य बोलीदाताओं को उनकी बिड प्रतिभूति राशि का रिफंड उच्चतम बोलीदाता द्वारा प्रथम किस्त जमा करा देने पर कर दिया जायेगा। नीलामी शुल्क नोनरिफन्डेबल है।
- 13 वार्षिक प्रीमियम राशि किसी भी स्थिति में खगन पट्टे के वार्षिक स्थिर भाटक की राशि से कम नहीं होगी। वार्षिक स्थिर भाटक के बराबर प्रीमियम राशि को न्यूनतम गारण्टीड प्रीमियम राशि कहा जावेगा।
- 14 नोटिफाईड शिड्यूल ऐरिया में होने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 16(7) के अनुसार यदि डोमीसाईल शिड्यूल ट्राईब की रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा बिड प्रस्तुत की जाती है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी एवं अन्य आवेदकों को उनकी नीलामी शुल्क 7,500/- लौटा दिये जावेंगे। यदि किसी भी रजिस्टर्ड सोसायटी की बिड प्राप्त नहीं होती है अन्य आवेदकों के मध्य ई-ऑक्शन किया जायेगा।
- 15 माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या 140/2014 श्री नगराम बनाम राज्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7.4.2015 के अनुसार रिवर बेड में भारी वाहन यथा जेरीबी, ट्रक का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

(एन.क. कोठारी)

अतिरिक्त निदेशक (खान) मु.

दिनांक: ०६.11.2017

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(ML Bajri)/2017//390 - 1452

प्रतिलिपि :-

- 1— विशिष्ट सहायक, माननीय खनिज राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2— संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3— श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4— नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5— नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 6— निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :—
- अ— अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
- ब— अधीक्षण खनि अभियन्ता — उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- स— खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/कौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-।/॥/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-॥/॥/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/झुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
- द—सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपur/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/नीमकाथाना/सावर।

(एन.क. कोठारी)

अतिरिक्त निदेशक (खान) मु.


राजस्थान सरकार		
कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर		
		विवरण
1.	प्लाट कमाक	1
2.	कार्यालय का नाम जहां प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, उदयपुर
3.	प्लाट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	खेतावतपुरा, झाडोल, पहाड़ी, सल्लाडा त0 सराडा जिला उदयपुर
4.	प्लाट का क्षेत्रफल	116.44 Hect
5.	खनिज	बजरी
6.	स्थिर भाटक	रुपये 3,49,320 /- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7.	रायलटी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के शिख्यूल व के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रायलटी दर की 20 प्रतिशत
9.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम
10	प्लाट के खसरा विवरण	खसरा संख्या
		गांव खसरा संख्या क्षेत्रफल
		खेतावतपुरा 1, 2, 1000, 1001, 1002 31.64 हैक्टैयर
		झाडोल 5160, 7480, 7481, 8049, 8050, 8051, 8623 51.35 हैक्टैयर
		पहाड़ी 1381, 1556 / 1381 10.95 हैक्टैयर
		सल्लाडा 6360, 6361, 6363, 6381, 6384, 7289, 6952 22.50 हैक्टैयर
AREA = 116.44 Hect.		

खनि अभियन्ता,
उदयपुर

राजस्थान सरकार		
कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर		
		विवरण
1.	प्लाट क्रमांक	2
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, उदयपुर
3.	प्लाट का राजस्व ग्राम, तहसील व ज़िला	नावडा त0 सराडा ज़िला उदयपुर
4.	प्लाट का क्षेत्रफल	70.89 Hect
5.	खनिज	बजरी
6.	स्थिर भाटक	रुपये 2,12,670/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
7.	रायल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के शिड्यूल II के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8.	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रायल्टी दर की 20 प्रतिशत
9.	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम खसरा संख्या
10.	प्लाट के खसरा विवरण	गांव खसरा संख्या क्षेत्रफल भैरवा 282, 286, 287, 293, 294, 302 4.40 हैक्टैयर
		नावडा 279, 281, 1737, 1735, 1736, 1755, 2038, 454 66.49 हैक्टैयर
		AREA = 70.89 Hect.

खनि अभियन्ता,
उदयपुर

राजस्थान सरकार								
कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर								
		विवरण						
1.	प्लाट कमाक	3						
2.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लाट आता है	खनि अभियन्ता, उदयपुर						
3.	प्लाट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	बड़ावली त0 सेमारी जिला उदयपुर						
4.	प्लाट का क्षेत्रफल	79.37 Hect						
5.	खनिज	बजरी						
6.	स्थिर भाटक	रुपये 2,38,110/- प्रतिवर्ष एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार						
7	रायलटी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के शिड्यूल II के अनुसार एवं समय समय पर होने वाले संशोधनानुसार						
8	प्रीमियम की आरक्षित दर	प्रचलित रायलटी दर की 20 प्रतिशत						
9	भूमि का प्रकार	राजकीय बिलानाम खसरा संख्या						
10	प्लाट के खसरा विवरण	<table border="1"> <thead> <tr> <th>गांव</th> <th>खसरा संख्या</th> <th>क्षेत्रफल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बड़ावली</td> <td>3845, 4602, 4631, 5376, 5413, 5462, 7781 / 4631, 7782 / 546 2, 7792 / 7000</td> <td>79.37 हैक्टैयर</td> </tr> </tbody> </table> <p>AREA = 79.37 Hect.</p>	गांव	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	बड़ावली	3845, 4602, 4631, 5376, 5413, 5462, 7781 / 4631, 7782 / 546 2, 7792 / 7000	79.37 हैक्टैयर
गांव	खसरा संख्या	क्षेत्रफल						
बड़ावली	3845, 4602, 4631, 5376, 5413, 5462, 7781 / 4631, 7782 / 546 2, 7792 / 7000	79.37 हैक्टैयर						



खनि अभियन्ता,
उदयपुर